न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया, आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. नया 86 / 2025 निर्णय दिनांक 24.04.2026

उनवान

शुभकरण बनाम सुभाष वगैरह

1. शुभकरण पुत्र बालू गुर्जर निवासी बामलास तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।
2. चावली उर्फ जानकी पत्नि बालू निवासी बामलास तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––वादीगण

बनाम

1. सुभाष पुत्र बालू
2. सुग्रीव पुत्र फुला
3. शांति देवी पत्नी फुला
4. श्रीराम पुत्र फुला
5. रामकरण पुत्र फुला
6. मीरा पुत्री फुला
7. मनीराम दत्तक पुत्र झुथा
8. मूँगा पुत्र चिमनाराम नि. रामपुरा
9. मूगा पुत्र चिमना
10. नानची पुत्री फूला
11. कमला पुत्री फुला

समस्त निवासीगण बामलास तह. गुढ़ा गौड़जी, जिला झुन्झुनू।

12. शाखा प्रबन्धक झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा गुढ़ा गौड़जी
13. तहसीलदार तहसील गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन
निर्णय

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्नलिखित प्रकार से पेश किया गया है :–

संक्षेप में वाद राजस्व ग्राम बामलास पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ा गौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 198 व पुराना खाता 189 के खसरा संख्या 1320 रकबा 0.0300 है0 खसरा संख्या 1540 / 1319 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 1769 / 1321 रकबा 4.2924 है0 खसरा संख्या 1770 / 1321 रकबा 0.0176 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.3900 है0 भूमि अवस्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 का 3 / 32 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1 / 16 है तथा उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमि है। दिनांक 20.04.2025 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 को विधिवत विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया तो साफ इन्कार हो गये। विभाजन योग्य भूमि का खाता कानून रूप से शामलाती होने के कारण वादीगण

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

अपनी भूमि को अपनी सुविधा अनुसार काश्त कर सकते है। इसलिए वादीगण को अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ यह दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा को पेश करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 18.06.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढ़ागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/02 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस श्रवण उपरान्त मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली पर बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- निर्णय :-

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बामलास पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ा गौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 198 व पुराना खाता 189 के खसरा संख्या 1320 रकबा 0.0300 है0 खसरा संख्या 1540/1319 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 1769/1321 रकबा 4.2924 है0 खसरा संख्या 1770/1321 रकबा 0.0176 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.3900 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/02 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/4/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलेक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस

उनवान

शुभकरण बनाम सुभाष वगै0

मुकदमा नं. : 86 / 2025 निर्णय दिनांक 24.04.2026

वादीगण की और से अधिवक्ता श्री गोपाल सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 24/04/26 .... को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम बामलास पटवार हल्का बामलास तह. गुढ़ा गौड़जी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 198 व पुराना खाता 189 के खसरा संख्या 1320 रकबा 0.0300 है0 खसरा संख्या 1540 / 1319 रकबा 0.0500 है0 खसरा संख्या 1769 / 1321 रकबा 4.2924 है0 खसरा संख्या 1770 / 1321 रकबा 0.0176 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.3900 हैक्टर भूमि बाबत तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2026 / 02 दिनांक 01.01.2026 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/4/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर झुन्झुनू
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	2	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	6	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	8	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर झुन्झुनू